

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक:-प.1(3)न्याय/2010

दिनांक

5 JUN 2020


अधिसूचना

जयपुर महानगर न्यायक्षेत्र को दो भागों में विभाजित करने के परिणामस्वरूप, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् एतदसंबंधी पूर्व प्रसारित अधिसूचनाओं के आंशिक उपांतरण में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से जयपुर महानगर में स्थित कॉलम संख्या 2 के न्यायालयों का नामकरण कॉलम संख्या 3 के अनुसार एवं क्षेत्राधिकार कॉलम संख्या 4 के अनुसार निम्न प्रकार निर्धारित करती है-

क्र.सं.	न्यायालयों का वर्तमान नाम	न्यायालयों का नया नाम	जिला न्यायालय का नाम, जिसके अधीन रहेंगे
1	2	3	4
1.	अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जयपुर महानगर	अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जयपुर महानगर द्वितीय	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर द्वितीय
2.	अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (साम्प्रदायिक दंगा प्रकरण हेतु), जयपुर महानगर	अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (साम्प्रदायिक दंगा प्रकरण हेतु), जयपुर महानगर द्वितीय	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर द्वितीय
3.	अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (रेल्वे), जयपुर महानगर	अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (रेल्वे), जयपुर महानगर द्वितीय	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर द्वितीय
4.	विशिष्ट अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (पीसीपीएनडीटी एक्ट प्रकरण), जयपुर महानगर	विशिष्ट अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (पीसीपीएनडीटी एक्ट प्रकरण), जयपुर महानगर प्रथम	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम
5.	अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम) संख्या 1, जयपुर महानगर	अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम) संख्या 1, जयपुर महानगर द्वितीय	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर द्वितीय




6.	अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम) संख्या 2, जयपुर महानगर	अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम) संख्या 2, जयपुर महानगर द्वितीय	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर द्वितीय
----	--	--	---

राज्यपाल के आदेश से,

 (विनोद कुमार भारवानी)
 प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलक्टर/ पुलिस आयुक्त, जयपुर।
9. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम एवं जयपुर महानगर द्वितीय।
10. महानिदेशक, आरक्षी/ जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाईट एवं ई-गजट में ऑनलाईन प्रकाशन करवाने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।


 (मधुसूदन शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव